

कारिये नामा. सं. 59, 483, 441, 491, 576 अनुसार गोपी सिंह व

तारामुद का हि. प्र. प्र. पटवारी रिपोर्ट
 प्रीतिन जी. उषा खतेदार नवरात्रि शुभ हजारी सिंह जातिराफत
 चौबना जमाबंदी नं 3 हि. कुन 6 हि. नं. लेटनीया वर्तमान लेगी
 जमाबंदी नं. 112 दल होगया जबकि चौबना जमाबंदी नं. 112 उला
 36 = 112 दल होना या मतः वर्तमान लेगी गेरा जमाबंदी नं. 112 उला
 हि. 112 कि शुद्धिना जाना उचित होगा। Navshah
 पट-दायापुडा

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड का खता नं 207 का सं. 48 अनुसार मयरावे
 पुनः एषाया राफत का हि. 1/2 बनता है। मतः मुताबिक रिकॉर्ड पटवारी
 रिपोर्ट अनुसार मयरावे पुनः एषाया 1/2 हि. व इति खता नं. 207 का
 खता नं. 207/1/2 हि. शुद्ध किया जाना उचित होगा। मुताबिक
 FLX नं. 112/25
 9-10-25

तहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी 2 पर प्रचलित है।
 शिविर प्रभाषी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 659

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/379

दिनांक:- 14-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्बन्ध में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	जमराव में दाया	इन्द्राज जमराव	दुरुस्ती स्वीकृत	सिद्ध नहीं होने के कारण किया जाता है।		

क्रमांक :- 5625-26 दिनांक :- 14-10-2025

उपस्थित:- (1) तहसीलदार नसीराबाद
 (2) आवेष्ट पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर